न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी अलका बिश्नोई (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

मुकदमा नम्बर – 57 / 2017

1. बनवारीलाल राठी पुत्र स्व. हनुमान प्रसाद जाति मेघवाल निवासी वार्ड न. 9 कस्बा मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनू
2. राधेश्याम पुत्र लालचन्द राठी जाति मेघवाल निवासी वार्ड न. 9 कस्बा मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनू
3. जयदेव पुत्र लालचन्द जाति राठी निवासी वार्ड न. 9 कस्बा मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनू

– वादीगण

बनाम

1. श्रीमती कैलाश देवी पत्नी मथुरा प्रसाद जाति दरोगा निवासी वार्ड न. 6 मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनू
2. राजेन्द्र पुत्र मथुरा प्रसाद
3. प्रेम पुत्री मथुरा प्रसाद
4. धन्नी पुत्री मथुरा प्रसाद
5. सम्पति पुत्री मथुरा प्रसाद
6. सन्तोष पुत्री मथुरा प्रसाद
7. उर्मिला पुत्री मथुरा प्रसाद

जातिगण दरोगा निवासी वार्ड न. 6 मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनू

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनू

–प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता :–

श्री सुनिल कुमार सेवदा, एडवोकेट – वादीगण की ओर से
श्री श्रवण कुमार सैनी जी.ए., एडवोकेट – राज्य सरकार की ओर से

दावा बाबत घोषणार्थ स्थाई निषेधाज्ञा एंव रिकार्ड दुरूस्ती व दर्ज करवाने इन्तकाल बाबत निर्णय

दिनांक 26.10.2018

वाद वादी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि कस्बा मण्डावा की सरहद में खेत खसरा न. पुराना 467 नया 1057 तादादी 4 बीघा पुख्ता खातेदार मथुरा प्रसाद पुत्र जेठाराम जाति दरोगा ने अपने हक हिस्से की उक्त कृषि भूमि में से 2 बीघा 2 बिश्वा जमीन वादी को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 03.11.1995 को विकय कर दी। उक्त आराजी भूमि पर वादी का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है वादी में उक्त भूमि पर खेती वाड़ी का बिना किसी रूकावट के काश्त करता आ रहा है। उक्त खेत खसरा न. 467 जिसके नया खसरा न. 1057 रकबा 1.06 हैक्टर मे खातेदार मथुरा प्रसाद का 1 / 2 हक हिस्सा पैत्रिक वंश चला आ रहा था जिस पर वह काविज काश्त रहा खातेदार मथुरा प्रसाद ने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्से की धारा 1 मे वर्णित 2 बीघा 2 विश्वा भूमि को वादीगण को विकय कर दी थी। यह कि वादीगण का उक्त कय शुदा जमीन पर कब्जा चला आ रहा है वादीगण ने वरवक्त कयशुदा आराजी के नामान्तरकरण कार्यवाही से अनभिज्ञ रहे वादीगण ग्रामी परिवेश के व्यक्ति होने से तथा कानूनी ज्ञान नही होने से नामान्तरकरण दर्ज नहीं करवा पायें। उक्त भूमि का खातेदार मथुरा प्रसाद की मृत्यु हो गई जिसके विधिक वारिसान प्रतिवादीगण न. 1 लगायत 7 है जो वर्तमान में जीवित है। यह कि प्रतिवादीगण न. 1 लगायत 7 ने वादीगण को दिनांक 26.03.2017 को वादीगण को एलानिया कहा कि उक्त आराजी हमारे हक हिस्से की है जिस पर वादीगण के प्रतिवादीगण से कहा कि उक्त खसरा नम्बरान की भूमि का विकय पत्र दिनांक 03.11.1995 को स्व. मथुरा प्रसाद द्वारा हमारे हक में उप पंजीयक कार्यालय झुंझुनू में विकय पत्र निष्पादित करवाया था। यह कि वादीगण ने दिनांक 05.04.2017 को अपने

उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनू (राज.)

Scanned by CamScanner

उक्त भूमि का स्टेट्स जमाबन्दी की नकल जो दिनांक 12.04.2017 को प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि उक्त आराजी पर वादीगण के नाम इन्तकाल दर्ज नही हुआ इस पर वादीगण पटवार हल्का मण्डावा गये तो पटवारी ने उन्हें न्यायालय मे जाने को कहा इसलिए यह दावा पेश किया जाना आवश्यक हुआ। उक्त वादीगण उक्त आराजी पर दिनांक 03.11.1995 से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। राजस्व रिकार्ड मे वादीगण ने नामान्तरकरण आदि की कार्यवाही कानूनी ज्ञान नहीं होने से दर्ज नहीं करवा पाये। उक्त प्रतिवादीगण उक्त भूमि मे वादी का इन्तकाल दर्ज नहीं होने से विक्रय करने पर आमदा है यदि प्रतिवादीगण वादीगण के हक हिस्से की भूमि को विक्रय कर देते है तो वादीगण को काफी हकतलफी होगी। उक्त कॉज ऑफ एक्शन दिनांक 26.03.2017 को प्रतिवादीगण न. 1 लगायत 7 ने वादीगण से ऐलानिया उक्त वादीगण की जमीन को विक्रय करने की धमकी दिये जाने के बरोज उत्पन्न हुआ। यह कि लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुंझुनू है जो इस वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार है जिसे प्रतिवादी न. 8 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। उक्त दावा अन्दर मियाद माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में पेश है। अतः वादीगण की ओर से वाद पत्र मय शपथ पत्र श्रीमानजी के समक्ष पेशकर निवेदन है कि वादीगण का दावा स्वीकार फरमाया जाकर करवा मण्डावा की सरहद में खेत खसरा न. पुराना 467 नया 1057 तादादी 4 बीघा में वादीगण की कयशुदा 2 बीघा 2 विश्वा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण के नाम से उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु प्रतिवादी न. 8 तहसीलदार झुंझुनू को आदेश फरमाया जावें तथा प्रतिवादीगण न. 1 लगायत 7 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण की कयशुदा कब्जे अधिकार की भूमि में उपभोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाले तथा न ही उक्त भूमि को विक्रय , रहन या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। वादीगण को खर्चा मुकदमा दिलाया जावे तथा अन्य कोई सिद्धि जो जाने से रह गई हो वह भी वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाई जावें। उक्तानुसार दावा पेश होने पर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से सम्यक रूप से होने के बावजुद भी प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन करने पर वादी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र 12 साल पश्चात पेश करना जाहिर होता है जिस पर राजस्व आय को ध्यान में रखते हुए मुद्रांक अधिनियम की धारा 45 के अनुसार देय स्टॉम्प ड्यूटी 6.25×12=75 रूपये अदा करने पर पर्चा डिक्री जारी की जानी न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि करवा मण्डावा की सरहद में खेत खसरा न. पुराना 467 नया 1057 तादादी 4 बीघा में वादीगण की कयशुदा 2 बीघा 2 विश्वा का मैट्रिक प्रणाली के अनुसार रकबा 0.56 हैक्टर का वादीगण 1 लगायत 3 को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष रकबा जमाबन्दी अंकन बदस्तुर। तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि देय स्टॉम्प ड्यूटी 75 रूपये वादीगण द्वारा अदा करने पर उक्त घोषणानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अलका बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू
उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

Scanned by CamScanner